



दक्षिण रेलवे **SOUTHERN RAILWAY**

सं No.P(R)608/P/Vol.VIII

प्रधानकार्यालय Headquarters Office
कार्मिक शाखा Personnel Branch
चेन्नै Chennai - 600 003
दि. Dated 08-08-2019

पी बी सी सं. PBC No.168 / 2019


All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops.

(As per mailing list-A)

विषय/Sub. Selection of promotion within Group 'C' and from
Group 'C' to Group 'B' – Inclusion of Questions on
Official Language Policy and Rules in the Departmental
Examination to be conducted for the above selection

A copy of Railway Board's letter No.Hindi- 2010 /OL-1/10/4
dated 03-07-2019 alongwith the English translation on the above subject is
enclosed for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter dated 19-03-2019 and 14-12-2016 referred
therein has been circulated as PBC No. 47 / 2019 and PBC No. 205 / 2016
respectively.



(S.JANAKIRAMAN)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम

Senior Personnel Officer/Rules

For Principal Chief Personnel Officer

संलग्न Encl as above

प्रतिलिपि Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA
The Genl Secy / NFIR

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी-2010/राभा-1/10/4

महाप्रबंधक का कार्यालय
GENERAL MANAGER'S OFFICE

नई दिल्ली, दिनांक: 03/07/2019

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन कारखाने
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)
मेट्रो रेलवे, कोलकाता.
केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद.

महानिदेशक,

अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ.
भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा.

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,

डीजल रेलइंजन आधुनिकीकरण कारखाना,
पटियाला.

निदेशक,

इरिमेंट, सिकंदराबाद.
इरिएन, नासिक रोड.
इरिसेन, पुणे.
इरिमि, जमालपुर.
इरटिम, लखनऊ.
ज.रा.रें.सु.ब.अकादमी, लखनऊ.

प्रबंध निदेशक,

रेल मंत्रालय के अधीनस्थ
सभी उपक्रम.
रजिस्ट्रार, रेल दावा अधिकरण,
दिल्ली.

विषय : ग्रुप "सी" में पदोन्नति एवं ग्रुप "सी" से ग्रुप "बी" में पदोन्नति हेतु चयन-उपर्युक्त चयन के लिए आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा नीति एवं नियमों के संबंध में प्रश्न शामिल करना ।

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 14/12/2016 का समसंख्यक पत्र ।


बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र के तहत ग्रुप "सी" में पदोन्नति एवं ग्रुप "सी" से ग्रुप "बी" में पदोन्नति के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा नीति एवं नियमों के संबंध में प्रश्न शामिल किए जाने हेतु अनुदेश जारी किए गए थे।

इसमें निर्धारित कुल अंकों अर्थात् 150 में से 15 अंक राजभाषा नीति एवं नियमों के लिए भी निर्धारित किए गए थे। बोर्ड के दिनांक 19/03/2019 के पत्र सं. ई(जीपी)2018/2/31 के तहत इन चयनों में प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया गया है और कुल अंकों को 150 से घटाकर 100 कर दिया गया है।

जहां तक "सी" से ग्रुप "बी" पदों पर पदोन्नति के लिए चयन करने का संबंध है, बोर्ड द्वारा अब यह विनिश्चय किया गया है कि कुल 100 अंकों में से 10% अंक राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियमों के प्रश्नों के लिए निर्धारित किए जाएं। इस संबंध में अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

इसे स्थापना निदेशालय के परामर्श से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।


03/7/19
(डॉ बरुण कुमार)
निदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड

- प्रतिलिपि : 1. निदेशक ई.(जीसी)
2. ईआरबी-I, ईआरबी-II, ईआरबी-III, ई(एनजी)-I, ई(एनजी)-II
3. सुरक्षा (स्था.) शाखा, रेलवे बोर्ड.

Translation

Ref.letter No.P(R)436/P/Misc./Vol.III dt.19.07.2019 of Personnel Branch, Rules section /HQRS/O/MAS received on 24/07/2019

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

No.Hindi-2010/OL-1/10/4

New Delhi, Dt.03/07/2019

General Managers,

All Zonal Railways & Production Units

Subject : Selection for promotion within Group 'C' and from Group 'C' to Group 'B'- Inclusion of Questions on Official language policy and Rules in the Departmental Examinations to be conducted for the above selection.

Ref : Railway Board's letter of even no. dtd.14/12/2016

In terms of the Board's above letter shown under reference, instructions have been issued regarding inclusion of questions on Official Language policy and Rules in Departmental Examinations held for promotions within Group 'C' and from Group 'C' to Group 'B' posts.

Under this out of total marks prescribed i.e. out of 150, 15 marks are prescribed for Official Language Policy and Rules also. In terms of Board's letter No.E(GP)2018/2/31 dtd. 19/03/2019, changes have been incorporated in the pattern of the question papers in these selections and the total marks have been reduced from 150 to 100.

As far as selection for promotion from Group 'C' to Group 'B' posts is concerned, the Board has now decided that 10 % of marks is to be prescribed for Official Language Policy and Rules out of total 100 marks. Other Guidelines in this regard will remain unchanged.

This issues in consultation with the Establishment Directorate.

Kindly acknowledge receipt.

Sd/-

03/7/19

(Dr.Barun Kumar)

Director, Official Language
Railway Board

Copy to :- 1. Director E.-(GC)

2. ERB-I, ERB-II, ERB-III, E(NG)-I, E(NG)-II

3. Security (Estt.), Branch, Railway Board.